कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

बन्दोबस्ती (अतिअल्पकालिन)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़वा नगर परिषद द्वारा निर्मित 19 अदद सामुदायिक शौचालयों एवं 01 अदद कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव एवं संचालन हेतु कुछ शर्तों के अधीन बन्दोबस्ती आमंत्रित की जाती है।

बन्दोबस्ती की तिथि :–05.10.2018 को अपराह्न 2.00 बजे नगर परिषद कार्यालय में।

इच्छुक व्यक्ति/संवेदक/NGO's/संगठन उक्त प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं। उक्त प्रस्ताव हेतु सुरक्षित जमा राशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख रूपये) है। इस संबंध में शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में नगर परिषद गढ़वा के सुचनापट्ट एवं विभागीय वेबसाईटः– www.udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।

कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

सामुदायिक शौचालय/ कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव एवं संचालन की शर्ते

1. कोई भी व्यक्ति/संवेदक/NGO's/संगठन द्वारा उक्त प्रस्ताव को समर्पित किया जा सकता है।
2. कुल 19 सामुदायिक शौचालय तथा 01 कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव किया जाएगा।
3. कौशल विकास केन्द्र में निर्मित हॉल एवं 03 दुकान तथा सभी सामुदायिक शौचालय के राजस्व से ही सभी सामुदायिक शौचालयों एवं कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव एव संचालन किया जाएगा।
4. सभी सामुदायिक शौचालय में शौच हेतु रू0 05/– सेवा शुल्क लिया जाएगा तथा मुत्रालय निःशुल्क है।
5. सभी संरचना का पानी तथा बिजली का व्यवस्था बन्दोबस्तधारी/संवेदक/NGO/संगठन के द्वारा वहन किया जाएगा।
6. समुचित रख–रखाव एवं संचालन की जिम्मेवारी व्यक्ति/एजेंसी की होगी।
7. आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 1000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से ही मान्य होगा, जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा के पदनाम से देय होगा, जो वापस नहीं होगा।
8. उक्त संरचना में किसी प्रकार का नया निर्माण बिना नगर परिषद गढ़वा के अनुमति का नहीं किया जाएगा।
9. उक्त कार्य हेतु नगर परिषद गढ़वा के द्वारा न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख रूपये) रखी गई है, अधिक राशि की बोली लगाने वाले व्यक्ति/एजेंसी/संवेदक को कार्य आवंटित किया जायेगा। अधिक राशि की बोली लगाने वाले को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से ही मान्य एवं एकरारनामा के समय देना होगा, जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा के पदनाम से देय होगा तथा साथ ही छोड़ने की स्थिति में किसी प्रकार का शुद्ध एवं अन्य देय दावा मान्य नही होगा।
10. समय–समय पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
11. उक्त प्रस्ताव प्रारंभ में तीन वर्षो के लिए आमंत्रित की जा रही है इसके पश्चात व्यक्ति/एजेंसी के कार्य का आकलन के बाद अवधि बढ़ाई जा सकती है।
12. उक्त प्रस्ताव के कार्य में व्यक्ति/एजेंसी/ NGO/संगठन का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में तीन वर्ष के पूर्व भी हटाया जा सकता है।
13. संरचना में किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त होने पर एजेंसी को मरम्मति करानी होगी नही तो सुरक्षित जमा राशि से मरम्मति कराई जाएगी।
14. संबंधित एजेंसी को निकाय के साथ 15 दिनों में एकरारनामा करना होगा।
15. बिना कारण बताए व्यक्ति/एजेंसी/ NGO/संगठन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. उक्त बन्दोबस्ती हेतु बन्दोबस्तधारी को अपना – अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आवेदन के साथ लाना अनिवार्य होगा।
17. उक्त प्रस्ताव से संबंधित किसी प्रकार की विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।